

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR

Agreement

1

Rate Approved by CE-1, RWD, Bihar, Patna Letter No. 1667 (ve) Dt. 24.09.2020

rate below (-) :- 12.51 % (Rs. Twelve Point Five One Percent Below)

Construction Rs. 7,75,70,330.00 ✓

Maintenance Rs. 57,98,385.00 ✓

Agreement Value Rs. 8,33,68,715.00 ✓

Agreement No. : 52/SBD/NABARD/2020-21

This agreement, made the 15th Day of December 2020 between Executive Engineer., R.W.D., Works Division, Tekari. (Name and Address of Employer) (herein after called "the Employer") of the one part, and Dhirendra Kumar Singh, At.- Ashok Nagar, PO- Rampur, Dist.- Gaya Pincode: 823003 [Name and address of Contractor] (Hereinafter called "the Contractor" of the other Part). Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction of road from Gaya Goh Konch Main Road SH-07 to (Parallel to Lower Morhar) Khaira (SH) Via Maldah Bigha Adwai Bigha [Tender ID-92959] (Under 4515/ NABARD) Length 9.576 Km [name and identification number of Contract] (hereinafter called "the Works") and the Employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of Rs. 8,33,68,715.00 (Eight Crore Thirty Three Lakh Sixty Eight Thousand Seven Hundred Fifteen Only) The Commencement of work is 15.12.20 and Completion of date upto one year i.e. 14.12.21 (12 Months)

Executive Engineer
RWD, Works Division
Tekari, Gaya

Executive Engineer
RWD, Works Division
Tekari, Gaya

धिरेंद्र कुमार सिंह

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक-31/10/19

पत्रांक-मु0 अ0-4(मु0)रा0यो0-03-617/2018 - 5996

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0

अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, टिकारी के अधीन कोच प्रखंड के अधीन गया-गोह मुख्य पथ एस0एच0-07 से (लोअर मोरहर नहर से समानान्तर) मलदहबिगहा-अदवई बिगहा-दौलतपुर हरिजन टोला-सीताबिगहा होते हुए खैरा (एस0एच0) तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 9.576 कि0मी0 निर्माण हेतु रु0 885.169 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु0 66.401 लाख अर्थात् कुल 951.570 लाख रुपये (नौ करोड़ एकावन लाख सन्तावन हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के गया जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, टिकारी के अधीन कोच प्रखंड के अधीन गया-गोह मुख्य पथ एस0एच0-07 से (लोअर मोरहर नहर से समानान्तर) मलदहबिगहा-अदवई बिगहा-दौलतपुर हरिजन टोला-सीताबिगहा होते हुए खैरा (एस0एच0) तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 9.576 कि0मी0 निर्माण हेतु रु0 885.169 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु0 66.401 लाख अर्थात् कुल 951.570 लाख रुपये (नौ करोड़ एकावन लाख सन्तावन हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारोख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल गया एवं मुख्य अभियंता-1 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु0 अ0-4(मु0)रा0यो0-03-617/2018 के पृ0 सं0-04/टि0 पर दिनांक-05.09.2019 को किया गया है।
9. विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा संचिका संख्या-मु0 अ0-4 (मु0)रा0यो0-03-617/2018 के पृ0 सं0-22-23/प0 पर दिनांक-16.09.2019 को इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है।

30/10/19

10. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-६१७/२०१८ के पृ० सं०-०७/टि० पर दिनांक-२६.०९.२०१९ को प्राप्त है।
11. बाडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-३७५८ दिनांक-३१.०५.२०१७ में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४(मु०)रा०यो०-०३-६१७/२०१८ के पृष्ठ संख्या- १०/टि० पर दिनांक- ३०.१०.१९ को प्राप्त है।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
18. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

30/10/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-३१/१०/१९

ज्ञापक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-६१७/२०१८ - ५९९६

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/19

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-३१/१०/१९

ज्ञापक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-६१७/२०१८ - ५९९६

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, गया/उप विकास आयुक्त, गया/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षक अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, टिकारी/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

30/10/19

अपर सचिव